



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं० पटना 996) पटना, सोमवार, 6 दिसम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 16/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 164 दिनांक 6 दिसम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 "बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा";
- (iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 "बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)16)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 दिसम्बर 2021

एस० ओ० 164 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)16)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th December 2021

S.O. 164 Date 6th December 2021- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in the heading "Description of Services", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;

- (ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading “ Description of Services “, the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (iii) against serial number 15, in column (3), in the heading “ Description of Services” after item (c), the following shall be inserted, namely, -
“Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”;
- (iv) against serial number 17, in column (3), in the heading “ Description of Services” after item (e), the following shall be inserted, namely, -

“Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 16)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 996-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>